# न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

**अपील संख्याः 16/2020 एल.आर.एक्ट**
**GCMS No. 2020/00026**

1. कालूराम पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन महादेववाली तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. स्टेट जरिये तहसीलदार छतरगढ़ जिला बीकानेर।

— रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः श्री लूनकरण शर्मा — अभिभाषक अपीलांट
मोहम्मद इम्तियाज अली — राजकीय अभिभाषक

## निर्णय

दिनांक 06.02.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर के निर्णय दिनांक 17.08.2016 के विरुद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत हुई है, जो क्षेत्राधिकार परिवर्तन के कारण इस न्यायालय को हस्तांतरित हुई है। अपील मीमों अनुसार संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है कि —

1— तहसीलदार छतरगढ़ ने वादग्रस्त भूमि ग्राम महादेववाली के खसरा नंबर 33 में 13 बीघा गैर मुमकिन गोचर भूमि पर गवार काश्त करने के कृत्य में अपीलांट को अतिक्रमी एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित करते हुए भूमि से फसल कुर्क कर अपीलांट को बेदखल करने, तावान वसूल करने एवं 3 माह के सिविल कारावास से दण्डित करने के आदेश दिनांक 07.10.2015 पारित कर दिये। तहसीलदार छतरगढ़ के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर के समक्ष अपील पेश की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.08.2016 पारित करते हुए खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.08.2016 से व्यथित होकर अपीलांट न्यायालय में अपील पेश की है।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया। यदि अपीलांट को धारा 91 की कार्यवाही की जानकारी होती तो वह स्वयं न्यायालय में

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट कर देता कि अपीलांट द्वारा अपने परिवार के ही खातेदार लेखराम एवं रूखमा देवी पत्नी लेखराम की खातेदारी हिस्से पर लेकर काश्त की है। अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि पर कभी काश्त नहीं की गई है और यदि गलती से सीमाज्ञान नहीं होने से सरकारी भूमि पर काश्त की है तो आगे वह पटवारी हल्का से सही निशान लेकर फिर काश्त करेगा, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कानून को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलांट द्वारा तावान व फसल नीलामी की राशि भी जमा करवा दी गई। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था जिसके आधार पर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिचारी माना जा सके। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन दोनों आदेश निरस्त फरमायें जावे।

3— राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि वादगत भूमि राजस्व रिकार्ड में गोचर दर्ज है। इस गोचर भूमि पर अपीलांट ने अतिक्रमण कर नाजायज काश्त की हैं। इससे पूर्व में भी अपीलांट द्वारा नाजायज काश्त की गई थी, जिसमें अपीलांट को अतिक्रमी घोषित किया गया था। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश न्यायोचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

4— हमने पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों, अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए तहसीलदार छतरगढ़ के आदेश दिनांक 07.10.2015 को सही मानते हुए अपीलांट को अतिक्रमी माना है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.08.2016 अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुति का समुचित अवसर देने के उपरांत पारित किया गया है। अपीलांट इस न्यायालय में भी ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सके, जिससे यह साबित हो कि अपीलांट अतिक्रमी नहीं है। उक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.08.2016 यथावत रखा जाता है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 06.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर